सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस सं. 7642 / 1011 / 2017
7643 / 1021 / 2017

दिनांक: 08 .09.2017

के मामले में :

श्रीमति पूजा शर्मा,
मं.नं. 28, गली नं. 2,
सैक्टर–09, शंकरपुरी,
न्यू विजय नगर,
गाजियाबाद–201009 ... वादी

बनाम

रेलवे बोर्ड
(द्वारा सचिव),
रेल भवन,
नई दिल्ली ... प्रतिवादी सं.01

उत्तर रेलवे(द्वारा : महाप्रबंधक),
बड़ौदा हाउस,
नई दिल्ली ... प्रतिवादी सं.02

उत्तर रेलवे
(द्वारा : मंडल रेल प्रबंधक),
स्टेट एन्ट्री रोड,
नई दिल्ली ... प्रतिवादी सं.03

सुनवाई की तिथि – 22.08.2017
उपस्थित– श्री अमित शर्मा, अधिवक्ता वादी की ओर से
श्री मुकेश गुप्ता, अध्यक्ष, उ0रे0फि0है0 एसो0 वादी की ओर से
श्री बलवान सिंह, प्रतिवादी सं. 02 की ओर से

आदेश

श्रीमती पूजा शर्मा, 45 प्रतिशत श्रवण दिव्यांग ने नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा, के अन्तर्गत अपनी पदोन्नति एवं संयुक्त स्नातक परीक्षा में दिव्यांग रेलवे कर्मचारियों का कोटा निर्धारित करने से संबंधित दो विभिन्न शिकायतें, दोनों ही दिनांक 14.02.2017, इस न्यायालय में दायर की ।

2. मामलों को न्यायालय के पत्रों दिनांक 17.03.2017 द्वारा प्रतिवादी के साथ उठाया गया । पर्याप्त समय व्यतीत होने के बावजूद रेलवे की तरफ से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने पर स्मरण पत्र प्रतिवादी को क्रमशः दिनांक 28.04.2017, 02.05.2017 तथा 29.05.2017 प्रेषित किए गए ।

पृष्ठ 2

3. मंडल कार्मिक अधिकारी, उ0रे0, नई दिल्ली ने अपने पत्र सं. 724–ई/3859/पी–8 दिनांक 15.05.2017 द्वारा सूचित किया कि मंडल कार्यालय द्वारा लिपिक से वरि0 लिपिक (एल.डी.सी.ई. 13–1/3%) पद के लिए लिखित परीक्षा हेतु विभिन्न विभागों से रिक्त पदों की स्थिति मॉगी गई थी। जिनकी स्वीकृत पदों की एवं रिक्त पदों की संख्या निम्नलिखित है,

विभाग	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत	रिक्त पद	रिक्त पदों का विवरण				
				यू. आर.	एस. सी.	एस. टी.	दिव्यांग	कुल पद
परिचालन	01	–	01	01	–	–	–	01
वाणिज्य	01	–	01	01	–	–	–	01
विधुत	04	03	01	–	01	–	–	01
ईजिंनियरिंग	07	02+01PWD	04	03	01	–	–	04
एस.एन.टी.	01	–	01	–	01	–	–	01
कार्मिक शाखा	04	–	04	03	01	–	–	04
यांत्रिक	07	01	06	05	01	–	–	06
कुल पद	**25**	**07**	**18**	**13**	**05**	**–**	**–**	**18**

विभिन्न विभागों की रिक्तियों की गणना करने के उपरान्त सभी विभागों के एल.डी.सी. कोटे के अन्तर्गत कुल 18(यू.आर.–13, एस सी.–05, एस.टी.–00, पी.डब्लयू.डी.–00) पद रिक्त पाए गए थे । प्रत्येक विभाग द्वारा अपना अलग–अलग रोस्टर बनाया हुआ है, प्रत्येक विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या कम होने के कारण उन पर पी.डब्लयू.डी. कोटे का कोई पद नहीं बनता है। वर्तमान में 01 दिव्यांग कर्मचारी ईजि0 विभाग में दिव्यांग कोटे के अन्तर्गत कार्यरत है।

उपरोक्त पदों को भरने हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन नियमानुसार किया गया । जिसका परिणाम मंडल कार्यालय के पत्र संख्या 758ई/907/पार्ट–1/पी–8 दिनांक 03.08.2016 को घोषित किया गया, जिसमें कुल 08 कर्मचारी उत्तीर्ण पाये गये जिसमें 02 दिव्यांग कर्मचारी थे ।

श्रीमती पूजा शर्मा लिपिक/कार्मिक शाखा ने भी इस परीक्षा में भाग लिया एवं उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाई तत्पश्चात कर्मचारी ने 14.02.2017 एवं 22.12.2016 को कार्यालय में दिव्यांग कोटे के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु आवेदन किया जिसका जवाब कर्मचारी को दे दिया गया कि लिपिक से वरि0 लिपिक का पद चयनित पद है नियमानुसार लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है ।

वर्तमान में कार्मिक विभाग की सभी शाखाओं के द्वारा पदोन्नति करने से पूर्व दिव्यांग कर्मचारियों के आरक्षण को ध्यान में रखते हुये रिक्तियों की गणना की जा रही है।

4. प्रतिवादी के उत्तर की प्रति इस न्यायालय के पत्र दिनांक 29.05.2017 द्वारा वादी को उनके टिप्पण हेतु प्रेषित की गई ।

5. वादी ने अपने पत्र दिनांक 07.06.2017 द्वारा अवगत कराया कि म0का0अधि0/उ0रे0/नई दिल्ली के द्वारा डी.ओ.पी. एंड टी के पत्र संख्या 36035/8/89–स्था.(एससीटी) दिनांक 20.11.1989 के पैरा –2 एवं पत्र संख्या 36035/3/2004–स्था.(आरक्षण) दिनांक 29.12.2005 के पैरा 13, 15(एच) एवं 19 को पूर्णतः नजरअंदाज किया गया है। विकलांग कर्मचारियों को ग्रुप 'डी' एवं 'सी' में पदोन्नति से भरे जानी वाले पदों पर 3 प्रतिशत आरक्षण देना था एवं रोस्टर रजिस्टर होरीजनटल बनाया जाना था साथ ही प्रत्येक शाखा के चिन्हित एवं अचिन्हित पदों को जोड कर चिन्हित पदो पर 3 प्रतिशत आरक्षण 20.11.1989 से देना था ।

6. दोनों पक्षों के जवाब प्राप्त होने के उपरान्त मामले को दिनांक 14.07.2017 के लिए सुनवाई हेतु निर्धारित किया गया ।

7. मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक), उत्तर रेलवे ने अपने पत्र दिनांक 05.07.2017(जोकि इस न्यायालय में दिनांक 13.07.2017 को दिया गया) द्वारा अनुरोध किया कि दिनांक 14.07.2017 को 11.00 बजे मुख्य आयुक्त के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु तिथि निर्धारित की थी परन्तु प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने के कारण संबंधित अधिकारी इस तिथि को आने में असमर्थ है। केस में अगली तिथि निर्धारित की जाए ।

8. मामले में सुनवाई नियत तिथि एवं समयानुसार निष्पादित की गई ।

9. तदनुसार मामले में कार्यवाहियों के रिकार्ड दिनांक 11.08.2017 को जारी किए गए एवं जिसमें वर्णित किया गया कि सुनवाई के दौरान प्रतिवादी सं. 01 एवं प्रतिवादी सं. 02 की ओर से कोई प्रस्तुत नहीं हुआ । सुनवाई का नोटिस दिनांक 22.06.2017 को स्पीड पोस्ट से भेजने के बावजूद सुनवाई में अनुपस्थिति की कोई सूचना भी प्राप्त नहीं हुई । प्रतिवादी सं. 01 एवं 02 द्वारा अनुपस्थिति की न ही कोई सूचना और न ही केस का विवरण/टिप्पणी भेजकर इस न्यायालय के प्रति घोर उपेक्षा दिखाई, जिसे इस न्यायालय ने गंभीरता से लिया है।

10. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की तरफ से श्री मुकेश गुप्ता, अध्यक्ष, उत्तर रेलवे दिव्यांग कर्मचारी संगठन ने कहा कि रेलवे की किसी भी शाखा में आरक्षण रोस्टर की व्यवस्था नहीं है। श्री अमित शर्मा ने वादी की ओर से प्रस्तुत होकर दस्तावेजों सहित उल्लेखित किया कि रेलवे ने दिव्यांगजन के लिए कोई भी रिक्ति आरक्षित नहीं रखने के बावजूद 02 दिव्यांग के चयन की पुष्टि की है। यह अपने आप में विवादास्पद है।

11. प्रतिवादी सं. 03 के प्रतिनिधि के निवेदनानुसार एवं न्याय के हित में मामले को दिनांक 22.08.2017 को 15.30 बजे सुनवाई हेतु स्थगित किया गया ।

12. पुनः नियत दिनांक को मामले को सुना गया ।

13. प्रस्तुत दोनों शिकायतों, (दोनों ही दिनांक 14.02.2017), संबद्ध टिप्पणों, समग्र तथ्यों व इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी श्रीमती पूजा शर्मा की नियुक्ति दिव्यांगता कोटे के अन्तर्गत लिपिक पद पर दिनांक 08.07.2013 को हुई । तदोपरान्त किसी अन्य मामले में न्यायालीय आदेश, जो कि उपरोक्त विषय से ही संबंधित था, परन्तु जिसमें प्रस्तुत प्रार्थी श्रीमती पूजा शर्मा वादी नहीं थी, रेलवे बोर्ड ने उस आदेश के अनुपालन में पत्र सं.E(NG)I/2001/PMI/56/CC. Vol.II दिनांक 21.10.2015 के द्वारा उत्तर रेलवे को संबंधित न्यायालीय आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया । तदनुसार रेलवे के प्रधान कार्यालय ने पत्र सं. 220E/Court Case/RP Cell दिनांक 20.11.2015 द्वारा अपने अधीन सभी संबद्ध कार्यालयों को न्यायालय के संबद्ध आदेश का हवाला देते हुए यह निर्देश दिया कि दिव्यांगजन की पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित प्रावधानों को तत्काल अनुपालन में लाया जाए एवं अनुपालन रपट द्वारा उस निर्देश के अनुपालन की पुष्टि की जाए, जिसे तदन्तर संबद्ध माननीय अधिकरण को सूचित किया जा सकें । परन्तु प्रतिवादी के उस निर्देश का वादी के कार्यालय विशेष द्वारा अनुपालन नहीं किया गया जबकि इस संदर्भ में न्यायालीय आदेश व आधिकारिक निर्देशों में स्पष्टतया ऐसा करने का निर्देश था । सुनवाई के दौरान प्रतिवादी दिव्यांगजन के आरक्षण से संबंधित समग्र रोस्टर, जो कि दिनांक 01.01.1996 से लागू, को भी संबद्ध प्रोफार्मा में प्रस्तुत करने में असफल रहा, जिससे दिव्यांगजन के आरक्षण, रिक्तियाँ व पदोन्नति से संबंधित आंकडों की यथास्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। प्रतिवादी द्वारा आंशिक जानकारी उपलब्ध कराने व यह तथ्य प्रस्तुत करना कि वर्ष 2016 से एक रिक्ति उत्पन्न हुई है तथापि उत्तर रेलवे मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय नई दिल्ली के पत्रांक 758ई/907/पीटी–I/पी–8 दिनांक 13.06.2016 द्वारा पदों को भरे जाने के प्रस्ताव में दिव्यांग श्रेणी हेतु आरक्षित पदों का "शून्य" घोषित किया जाना स्वयं में विवादास्पद है। समस्त पहलुओं व प्रस्तुत दस्तावेजों के विश्लेषण के उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि प्रतिवादी द्वारा दिव्यांगजन को पदोन्नति में आरक्षण संबंधित प्रावधानों का उचित अनपुालन नहीं किया गया । अतः प्रतिवादी को यह निर्देश दिया जाता है कि प्रस्तुत मामले में न्यायालीय विवेचना व संबद्ध आदेश, जो कि दिव्यांगजन की पदोन्नति के नियमों के अनुपालन हेतु व शासकीय/संबंधित शीर्ष विभाग(रेलवे बोर्ड) उपरोक्त पत्र दिनांक 21.10.2015 द्वारा जारी किए गए है, का समग्र रूप से अनुपालन करते हुए व संबद्ध नियमों के अनुरूप प्रक्रियात्मक प्रावधानों का अनुसरण करते हुए वादी को पदोन्नति में तदनुसार देय तिथि से दिव्यांगजन हेतु आरक्षण प्रावधानों का लाभ प्रदत्त करें, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वादी की वरीयता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और वादी के संदर्भ में यह वरीयता नियमानुसार देय तिथि से मान्य हो एवं यह भी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन न हो एवं दिव्यांगजन के अधिकारों का हनन न होने पाए। प्रतिवादी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि इस न्यायालय के पत्र सं. 7643/1021/2017 दिनांक 17.03.2017 द्वारा अग्रेषित दिव्यांगजन से संबंधित प्रशासकीय प्रक्रिया व नियमों का अनुपालन किया जाए व संबद्ध रोस्टर को दिनांक 01.01.1996 से स्थापित व प्रतिपादित किया जाए ताकि भविष्य में दिव्यांगजन के आरक्षण से संबंधित किसी भी शंका की स्थिति से बचा जा सकें ।

14. प्रस्तुत दोनों मामलों का तदनुसार निपटान किया जाता है।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन